ume I, Issue XXVIII
ctober To December 2019

2019-20

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.610 (2018)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

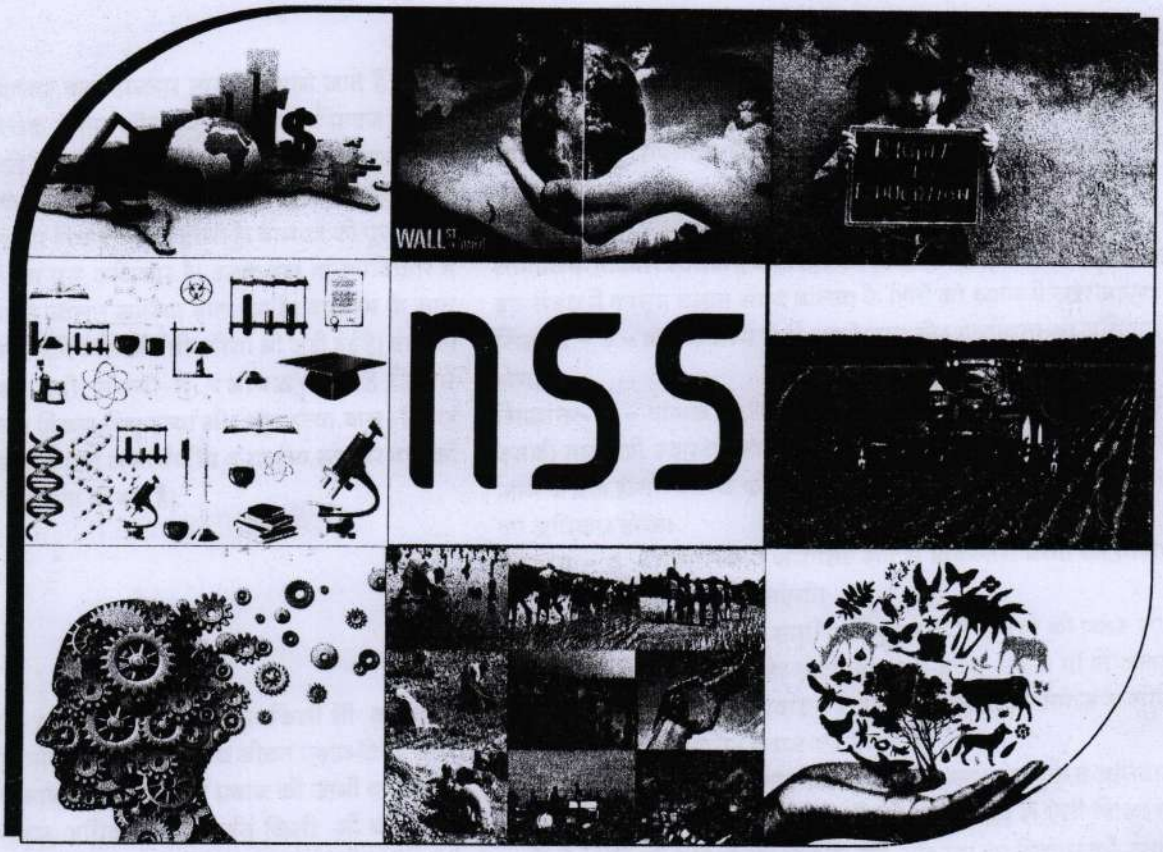

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) October to December 2019, Vol. I

बाल अधिकार एक ज्वलंत समस्या

कृष्णा शर्मा *

प्रस्तावना – आज के बालक कल होनहार नागरिक माने जाते है,उनका उचित लालन-पालन प्रत्येक समाज और राष्ट्र का परम एवं पावन कर्तव्य है। बालक समाज का सबसे नाजुक अंग है, जिसके अधिकारों का हनन बडी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए मानवाधिकार के बारे में चर्चा करते समय बालकों के अधिकार पर विचार करना जरूरी है। बालकों को पूर्ण मानव के रूप में विकसित होने का पूरा अधिकार है। उनके इस मानवाधिकार में रूकावट बनने वाली सबसे ज्वलंत समस्या बाल श्रम है। बालश्रम के साथ बच्चों की अशिक्षा कुपोषण,अविकास और बीमारियॉ भी जुडी हंई है। बालकों के विरूद्ध अपराध भी बडी संख्या में पंजीबद्ध होते है,जिसमें बलात्कार,अपहरण, कन्या विक्रय,षिषु हत्या और भ्रूण हत्या,बाल-विवाह आदि शामिल है। इन सब के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर बालकों के अनेक अधिकारों को मान्यता दी गई है।

चार मूल अधिकार –

1.जीवन अधिकार
2.रक्षा अधिकार
3.विकास अधिकार
4.विशेषाधिकार

1. **जीवन अधिकार** – इस अधिकार के अतंर्गत किसी भी बालक या बालिका को परिपूर्ण पोषण और एक स्वस्थ्य जीवन प्रदान किया जाना चाहिए और साथ में नाम व राष्ट्रीयता भी प्रदान की जानी चाहिए।
2. **रक्षा अधिकार** – इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी बालक या बालिका को निम्न संबंधों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए,जैसे षोषण गाली-गलौज, घृणा, श्रेणी संबंधित भेद आदि और ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो उन्हें सहस्त्र रक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
3. **विकास अधिकार** – इस अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शिक्षण सामाजिक स्तर,रहन-सहन,खान-पान संबंधी अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। जिससे कि वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में विकास कर सके।
4. **विशेषाधिकार** – इस अधिकार के अंतर्गत एक बालक या बालिका को उसके विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

बालक के अधिकारों की घोषणा – यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1959 में स्वीकृत की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों को सुखी बालपन प्राप्त कराने बच्चों ओर समाज के कल्याण के लिए इसे घोषित किया और माता-पिता, स्वंयसेवी, स्थानीय प्राधिकरणों और राष्ट्रीय सरकारों का आहान किया कि निम्न सिद्धांतों का पालन कानूनों व अन्य प्रावधानों द्वारा करें।

सिद्धांत – 1 – बालक इस घोषणा में निर्धारित अधिकारों का उपयोग करेंगें। कोई भी बालक प्रजाति, रंग, लिंग,भाषा,क्षेत्र मत राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म व स्तर के भेदभाव के बिना इन अधिकारों का हकदार होगा।

सिद्धांत– 2 – सभी बालक शारीरिक, मानसिंक, नैतिक, अध्यात्मिक व सामाजिक विकास स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा व अवसर के अधिकारी होगें। इस संबंध में कानून बनाते समय बालक के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

सिद्धांत – 3 – बालक जन्म से ही अपने नाम और राष्ट्रीयता का अधिकारी होगा।

सिद्धांत – 4 – बालक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होगा। उसे और उसकी माता को स्वास्थ देख-रेख व सुरक्षा का अधिकार जन्म से पूर्व व जन्म के बाद होगा। बालक को उचित पोषण, मकान, मनोरंजन व चिकित्सा का अधिकार होगा।

सिद्धांत – 5 – मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को विशेष उपचार,देखरेख व शिक्षा दी जाएगी।

सिद्धांत – 6 – अपने पूर्ण व संतुलित विकास के लिए बच्चे को प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता है। छोटी आयु का बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं किया जाएगा। बिना परिवार व सहारे वाले बच्चों को समाज व लोक प्राधिकारियों द्वारा देखरेख प्रदान की जाएगी।

सिद्धांत – 7 – बालको को कम से कम प्राथमिक स्तर तक मुक्त व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों को समान रूप से ऐसी शिक्षा दी जायेगी जो उनकी सभ्यता का विकास करें, योग्यता का विकास करें उसके सामाजिक व नैतिक दायित्वों की समझ का विकास करें। बच्चों की शिक्षा का पहला दायित्व माता-पिता पर होगा।

सिद्धांत – 8 – सभी स्थितियों में बच्चें को सुरक्षा और राहत सबसे पहले पहुँचाई जाएगी।

सिद्धांत – 9 – बच्चों की उपेक्षा क्रूरता व षोषण के विरूद्ध सुरक्षा की जाएगी। किसी भी रूप में उसका परिवहन नहीं किया जाएगा। बच्चे को न्यूतम आयु से पूर्व रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।

सिद्धांत – 10 – बच्चे को प्रजातीय,धार्मिक व अन्य प्रकार के भेदभाव से रक्षा की जाएगी। इसका पालन-पोषण समझ सहनशीलता, मित्रता शांति व सार्वभौमिक भाईचारा के अनुसार किया जाएगा ताकि उसकी ऊर्जा व प्रतिभा अन्य लोगों की सेवा के लिए काम आ सके।

बालक कौन है? – भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम हो या अवयस्क की श्रेणी में आता है, वह बालक या बालिका

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय श्या. सुंदर नारायण महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

Smt Krishna Sharma

में आएगा।

में बालक – भारत में कुल 700 मिलियन बच्चे है 0 –14 वर्ष के में भारत में उपस्थित है, ये भारत की जनसंख्या को एक तिहाई के थोडा ऊपर दशति है।

बच्चों का स्तर और उनका अधिकार – भारत में सभी बच्चों को समानता से नहीं देखा जाता है,भारत में ऐसे कई मिलियन बच्चे है जो बहुत सी कठिनाईयों को झेलते है, तथा उन्हें अपने विकास हेतु उचित अवसर नहीं मिलते है। समाज में रहने वाले निम्न बच्चों को बहुत सी आर्थिक एवं सामाजिक हानियों का सामना करना पडता है ये निम्न है –

- लडकियॉं
- वेश्याओं के बच्चे
- सड़क में रहने वाले बच्चे
- पिछड़े वर्ग के बच्चे

बहुत से समुदायों में लड़के व लड़कियों का एक एक सा दर्जा दिया जाता है, और वही ऐसे भी समुदाय है,जहॉं उन्हें समान दर्जा नहीं दिया जाता है। भारत में समानता के दर्जे की स्थिति विपरीत है यदि हम लड़के व लड़कियों के मध्य संख्या का अनुपात निकाले तो उनमें से 0–6 वर्ष की मिलियन लड़किया गायब है–

लड़कियां हमेशा ही अपने स्वास्थ्य की देखभाल अच्छा खाने–पीने और शिक्षा से वंचित ही जाती है।

जीवन जीने का अधिकार – तिरस्कृत बच्चों की समस्या उभर कर सामने आ रही है जिसके कारण उनकी मृत्यु बहुत से देशों में हो रही है। देश में बच्चों के मरने का कारण ये है कि उन्हें वह सुरक्षा प्रदान नहीं कराई जा रही है।

यूनीसेफ के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर जेम्स ग्रेन्ट एक्जीक्यूटिव बोर्ड को संबोधित करते हुए कह रहे थे। कि मै अपनी अनुमति से स्वतंत्रता लेता हूँ कि आप ये महसूस करें उन 40 हजार बच्चों के लिए जो कि आज की तारीख में लंबी तादात में मर रहे है। जो वातावरण के दूषित होने के कारण है सारी सुविधाऐं व जीने के अवसर खो रहे है।

बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए है–

1. **बच्चों के विकास के लिए पदोन्नति को बढावा देना** – बच्चो पर केंद्रित कार्यक्रम शामिल करना जैसे कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना बाल मजदूरी को पूर्णत: खत्म करना। बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं उन्हें उनके स्वास्थ्य का ध्यान देने के लिये बढावा देना एवं विटामिन 'ए' आयोडीन नमक बच्चों को लगने वाले टीके और ओ.आर.टी. के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। बच्चों को आवष्यक जरूरतों को सर्वप्रथम पूर्ण करना।
2. **कानून निर्माण का विकास होना जो बच्चों के अधिकारों की जानकारी स्पष्ट एवं उपलब्ध कराए** – कानून को सामने लाना नये कानूनों का निमार्ण करना धाराओं का या कानूनों को दोहराना ओर भी बहुत से ऐसे योजनाओं को शामिल करना एवं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
3. **लड़के–लड़कियों के भेद–भाव को दूर करने हेतु उचित कदम बढ़ाने के लिये प्रेरित करना**– जीवन चक्र से लिंग भेद–भाव को पूर्णत: समाप्त करना चाहिए एवं समानता की दृष्टि से लड़के व लड़कियों को देखना चाहिए।
4. **सही व उचित पक्षों का फैसला लेना** – लोगों को बढावा देना औ उनमें हिस्सा लेना ऐसे कार्यो में जो बच्चों के हितकर बहुत ही आवश्यव है। व्यवसाय मीडिया,पंचायत,एन.जी.ओ. आदि साधनों से उनका पक्ष लेना और उनसे जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है एवं जरूरी है बच्चों वे विकास के लिए।
5. **बच्चों के अधिकारों का समर्थन करना** – सम्पूर्ण क्षमताशील विस्ता जानकारी के द्वारा हम शोध द्वारा और पोलिसी के द्वारा हम बच्चों वे अधिकारों को उनके हितों को समझ पायेगें।तथा असी प्रकार हम बच्चं के अधिकारों का समर्थन भी कर पाएगें।
6. **बच्चों के अधिकारों के उपर एक रिपोर्ट** – कुछ निर्देशों का विकास करना जो हमें बच्चों के अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कराए

इन सब का उद्देश्य यह कि बच्चों के अधिकारों का विकास उनके बा में उन्हें अवगत करना इन अधिकारों के तहत बच्चों की तरफ पूर्णत: ध्या देना व उनमें विकास लाने के लिए कुछ कार्यक्रमों का निमार्ण करना कु राज्यों में जैसे कि तमिलनाडू और मध्यप्रदेश में कुछ ऐसे भी कार्यक्रम प्रार हुए है जो बच्चों के लिये हितकर है एवं बच्चों के विकास और भविष्य निमा हेतु भी सहायक है।

उपंसहार – बच्चों के बनाए गए अधिकारों को समितिकरण के लिए सर्वप्रथ आयोग का गठन संयुक्त राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा 20 नवम्ब 1989 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बालक/बालिकाए समाज सुदृढ भूमिका निभा सके। सन 1993 तक 159 देश अस आयोग का हिस्स बने और 1995 के अंतिम चरण तक पहुँचते–पहुँचते ये एक वृहद रूप धार कर चुका था, अर्थात् दुनिया के सभी देश एक–एक करके इसका हिस्सा ब चुके थे। असका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार को यह बताना था कि समाज बच्चों की भी अहम भूमिका है और उन्हें भी अधिकार दिए जाने चाहिए।

संक्षिप्त में इसका अर्थ बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना है। जिस कि वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिंक रूप उन्नति कर सके उ अपनी आधारभूत भूमिका को समझ सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा – 10 दिसम्बर 1948
2. उपाध्याय राम – मानव अधिकार।
3. ए.सी.लार्बा – मानव अधिकार और पिछडा वर्ग।
4. दामोदर मिश्रा,डॉ.अखिल शुक्ला – मानवाधिकार दशा और दिशा
5. मेरी सहेली पत्रिका – दिसम्बर 2005
6. भारतीय जनगणना 2001 डब्लू.एस.ओ. के अनुसार –श्रीमति क भदौरिया।

****